न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारीः नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 84 / 2019

अपीलाण्ट –

1. मनजीतसिंह पुत्र कुलतारसिंह
2. इन्द्रजीतसिंह पुत्र कुलतारसिंह
3. हरजीतसिंह पुत्र कुलतारसिंह तमाम जातिगण सिक्ख निवासीगण सुमेरपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. अधिशाषी अधिकारी / अध्यक्ष, नगर पालिका सुमेरपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर
3. श्रीमती मन्निद्र कौर पुत्री श्री कुलतारसिंह पत्नी श्री मनजीतसिंह जाति सिक्ख निवासी सुमेरपुर हाल निवासी रामगढिया गुरूद्वारा के पास, तिलक नगर, दिल्ली।
4. श्रीमती बलविन्द्र कौर पुत्री श्री कुलतारसिंह पत्नी श्री जगदीपसिंह जाति सिक्ख, निवासी सुमेरपुर हाल र्स्टलिंग सिटी, तुलीप स्कूल के सामने, बोपल, अहमदाबाद (गुजरात)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री लक्ष्मण के. चौधरी, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री दीपाराम परमार, अधिवक्ता

– निर्णय –

दिनांक : 22.08.2022

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12 / 2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 433, 434 व 435 कुल रकबा 79 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 433 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 435 रकबा 79 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 79 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के पिता कुल्तारसिंह पुत्र ईन्दरसिंह आहलुवालिया निवासी सुमेरपुर की जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.10.1978 के खरीदसुदा हैं, जो वादीगण के पिता के नाम विधिवत दर्ज होकर लगातार खातेदारी दर्ज रही तथा मौके पर काबिज काश्त रहे। द्वितीय सेटलमेन्ट के समय गत खसरा नम्बर 433, 434 व 435 रकबा 79 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1128, 1129, 1130 व 1131 कुल रकबा 11.58 हैक्टेयर दर्ज किये गये, जिसका रकबा 72.06 बीघा होता हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की लगभग 7 बीघा भूमि कम कर दी गई। उक्त कम की गई भूमि को पुनः खातेद्वारी दर्ज कराते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दायर करवाया गया तथा गत खसरा नम्बर 432 से बने नये खसरा नम्बर 1132, 1142 व 1145 कुल रकबा 12.26 हैक्टेयर (76 बीघा 12 बिस्वा) एवं अन्य खातेदारी में बढाये गये रकबे के सम्बन्ध में पुनः दुरूस्ती कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मेरिट पर निर्णय पारित करना था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त भूमि निर्विवादित रूप से कृषि भूमि के सम्बन्ध में था तथा जो अनुतोष चाहा गया था, उसमें भी कृषि भूमि के क्षेत्रफल को संशोधित करते हुए खातेदारी घोषित की जानी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी एवं अनुतोष में वर्णित भूमि को आबादी भूमि मानते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये वादी के वाद को खारिज़ कर विधिक त्रुटी कारित की हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री दीपाराम परमार, अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.02.2018 को वाद प्रस्तुत किया है तथा गत खसरा नम्बर 429, 430, 431 व 432 के हाल खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 व 1145 में से 7 बीघा भूमि खसरा नम्बर 1129 में दर्ज करते हुए उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा हैं। उक्त भूमि वर्ष 2013 में आबादी होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज हैं। इस तथ्य की अपीलाण्ट को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 के प्रावधानानुसार उक्त वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय ही नहीं हैं। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्राथमिक स्तर पर ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज़ कराने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससंम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर गत खसरा नम्बर 433, 434 व 435 के क्षेत्रफल अनुरूप इससे तहरीर हुए हाल खसरा नम्बर 1128, 1129, 1130 व 1131 का क्षेत्रफल इन्द्राज करने एवं खसरा नम्बर 1129 में 7 बीघा भूमि अतिरिक्त दर्ज करते हुए उक्त अतिरिक्त दर्ज की गई भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा। वादीगण द्वारा अपने पिता की खरीदसुदा भूमि में से 7 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 एवं 1145 में समाहित होना जाहिर किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 व 1145 की भूमि राजस्व रेकर्ड में आबादी होकर नगर पालिका, सुमेरपुर के खाते में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि आबादी में वर्ष 2013 में दर्ज हुई है, जबकि वाद वर्ष 2018 में संस्थित किया गया हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाद विचारण से पूर्व ही उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी थी। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय के विचारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज़ कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप वाद को खारिज़ किया गया।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 433 रकबा 1 बिस्वा किस्म बेरा एवं खसरा नम्बर 435 रकबा 76 बीघा 6 बिस्वा भूमि श्री प्रीतपसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जट निवासी पालडी की खातेदारी भूमि थी, जिसे खातेदार प्रीतमसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.10.1978 को अपीलाण्ट के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कुल्तारसिंह पुत्र सरदार इंदरसिंह आहलुवालिया निवासी सुमेरपुर को बेचान किया। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 433 के हाल खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा गत खसरा नम्बर 435 के हाल खसरा नम्बर 1130 रकबा 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1131 रकबा 4.81 हैक्टेयर कुल रकबा 11.52 हैक्टेयर तहरीर किये गये। जिसकी गणना बीघा–बिस्वा में करने पर इस क्षेत्रफल 72 बीघा 6 बिस्वा होता है। इस कारण यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व रेकर्ड में कम किया गया हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त कम किया गया क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 एवं 1145 में समाहित होना जाहिर किया है, इस कारण इन खसरा नम्बरान् की भूमि के गत खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल की गणना की जानी आवश्यक है। ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 429, 430, 431 व 432 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 76 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज है। गत खसरा नम्बर 432 रकबा 76 बीघा 5 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1132 रकबा 5.36 हैक्टेयर, 1142 रकबा 0.24 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1145 रकबा 6.66 हैक्टेयर कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 12.26 हैक्टेयर अर्थात 76 बीघा 12 बिस्वा तहरीर हुए हैं। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 429 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 431 रकबा 2 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.05 हैक्टेयर तथा गत खसरा नम्बर 430 रकबा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.01 हैक्टेयर बने हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की भूमि में से कम किया गया क्षेत्रफल इस भूमि में नहीं बढा है। इस स्थिति को स्पष्ट करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 को रेखांकित किया जाना आवश्यक हैं। इस रिपोर्ट के संलग्न भू0अ0निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह अंकित किया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान एक नया खसरा नम्बर 1145/1724 रकबा 1.76 हैक्टेयर तहरीर किया गया, जो सिवायचक राजस्थान सरकार दर्ज किया गया है, उक्त खसरे का गत रेकर्ड से मिलान नहीं हो रहा हैं, यहां तक कि मिलान क्षेत्रफल में भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि के गत खसरा नम्बर क्या थे, अंकित नहीं हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा ग्राम पंचायत पालडी के नाम दर्ज हैं। हाल खसरा नम्बर 1145/1724 का राजस्व रेकर्ड अर्थात जमाबन्दी में इन्द्राज अवश्य है, किन्तु राजस्व नक्शे में यह खसरा नम्बर अंकित ही नहीं हैं। यह खसरा स्पष्ट रूप से वर्तमान खसरा नम्बर 1145 का भाग न होकर आंशिक रूप से गत खसरा नम्बर 435 मी. के हाल खसरा नम्बर 1131 का भाग होना प्रतीत होता हैं। इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका एवं Google map पर राजस्व नक्शे को किये गये सुपर इम्पोज से भी होती हैं। इन तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में उज़ागर नहीं किया है, अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पिता की क्रयसुदा भूमि में से भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान 7 बीघा भूमि को कम किया जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 एवं 1145 में समाहित होना जाहिर किया है, जिसकी ताईद राजस्व रेकर्ड से नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त खसरों की भूमि आबादी होकर नगर पालिका सुमेरपुर के पक्ष में वाद संस्थित होने से पूर्व ही दर्ज हो चुकी थी, इस कारण अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वाद को खारिज़ किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जाती है एवं सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2019 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली